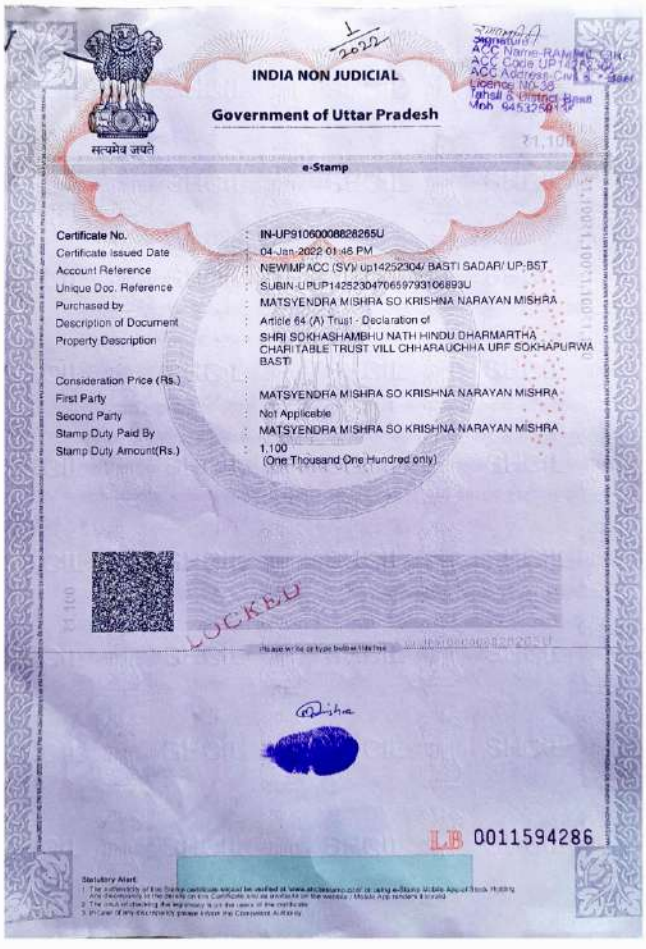

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP91060008828265U
Certificate Issued Date	:	04-Jan-2022 01:46 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14252304/ BASTI SADAR/ UP-BST
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14252304706597931O6893U
Purchased by	:	MATSYENDRA MISHRA SO KRISHNA NARAYAN MISHRA
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	SHRI SOKHASHAMBHU NATH HINDU DHARMARTHA CHARITABLE TRUST VILL CHHARAUCHHA URF SOKHAPURWA BASTI
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MATSYENDRA MISHRA SO KRISHNA NARAYAN MISHRA
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	MATSYENDRA MISHRA SO KRISHNA NARAYAN MISHRA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,100 (One Thousand One Hundred only)

LB 0011594286

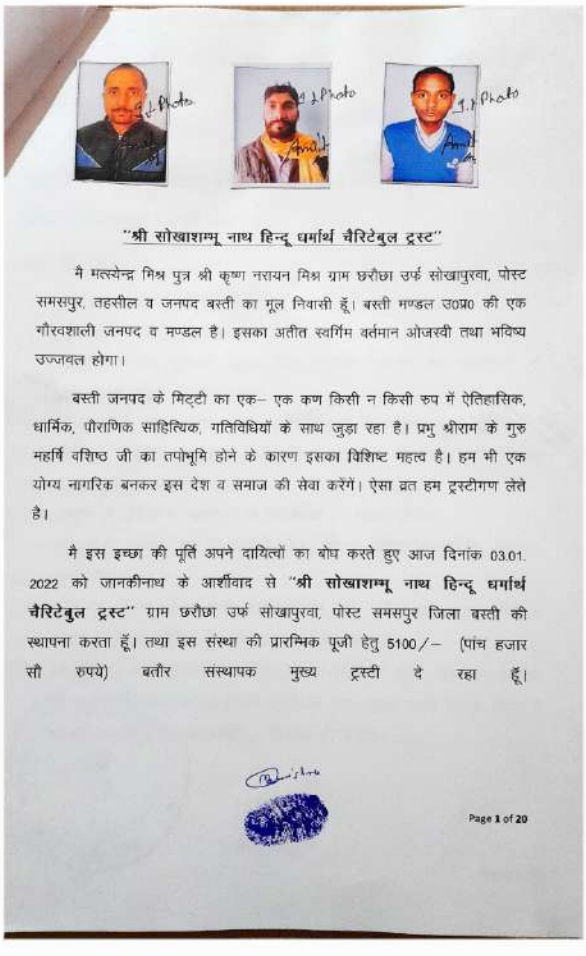

"श्री सोखाशम्भू नाथ हिन्दू धर्मार्थ चैरिटेबुल ट्रस्ट"

मै मत्स्येन्द्र मिश्र पुत्र श्री कृष्ण नरायन मिश्र ग्राम छरौछा उर्फ सोखापुरवा, पोस्ट समसपुर, तहसील व जनपद बस्ती का मूल निवासी हूँ। बस्ती मण्डल उ0प्र0 की एक गौरवशाली जनपद व मण्डल है। इसका अतीत स्वर्णिम वर्तमान ओजस्वी तथा भविष्य उज्जवल होगा।

बस्ती जनपद के मिट्टी का एक– एक कण किसी न किसी रुप में ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक साहित्यिक, गतिविधियों के साथ जुड़ा रहा है। प्रभु श्रीराम के गुरु महर्षि वशिष्ठ जी का तपोभूमि होने के कारण इसका विशिष्ट महत्व है। हम भी एक योग्य नागरिक बनकर इस देश व समाज की सेवा करेंगें। ऐसा व्रत हम ट्रस्टीगण लेते है।

मै इस इच्छा की पूर्ति अपने दायित्वों का बोध करते हुए आज दिनांक 03.01.2022 को जानकीनाथ के आर्शीवाद से **"श्री सोखाशम्भू नाथ हिन्दू धर्मार्थ चैरिटेबुल ट्रस्ट"** ग्राम छरौछा उर्फ सोखापुरवा, पोस्ट समसपुर जिला बस्ती की स्थापना करता हूँ। तथा इस संस्था की प्रारम्भिक पूंजी हेतु 5100/– (पांच हजार सौ रुपये) बतौर संस्थापक मुख्य ट्रस्टी दे रहा हूँ।

Page 1 of 20

स्मृति पत्र

ट्रस्ट का नाम:– श्री सोखाशम्भू नाथ हिन्दू धर्मार्थ चैरिटेबुल ट्रस्ट

ट्रस्ट का पता– ग्राम छरौछा उर्फ सोखापुरवा, पोस्ट समसपुर जिला बस्ती

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत वर्ष

ट्रस्ट के उद्देश्य–

1. यह ट्रस्ट सनातन धर्म का प्रचार– प्रसार व उत्थान हेतु कार्य करेगा।
2. राम नाम का प्रचार– प्रसार करेगा।
3. हिन्दू पौराणिक पुस्तकों, अन्य हिन्दू धार्मिक पुस्तकों एवं महापुरुषों के पुस्तकालय का भी स्थापना करेगा।
4. हिन्दू धर्म के प्रचार– प्रसाद हेतु पत्र– पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जायेगा।
5. दैवीय/ प्राकृतिक आपदाओं व आकस्मिक आपदाओं के समय लोगो की हर सम्भव सहायता प्रदान करना।
6. समाज के वंचितों व निराश्रितों के अजीविका का संवर्धन करना।
7. समाज के आर्थिक रुप से कमजोर हिन्दू धर्म के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
8. ट्रस्ट के विकास हेतु उसके उद्देश्यों का पत्र– पत्रिकाओं, सोशल मीडिया अथवा डिजिटल मीडिया के द्वारा प्रचार– प्रसार करना।
9. यह ट्रस्ट " श्री सोखाशम्भू नाथ हिन्दू धर्मार्थ चैरिटेबुल ट्रस्ट" ग्राम छरौछा उर्फ सोखापुरवा, पोस्ट समसपुर जिला बस्ती के साथ–साथ भारत अथवा विश्व में मन्दिरों का निर्माण व जीर्णोद्वार/ विस्तार भी करेगा।

10. हिन्दू समाज के उत्थान के लिए जाति प्रथा का अन्त करने के उद्देश्य हेतु काम करना तथा समाज के सवर्णों एवं दलितों को एक जुट करना।
11. भारत अथवा विश्व में किसी भी मन्दिर पर जहां पुजारी न हो सनातन धर्म के प्रचार– प्रसाद हेतु पुजारी की व्यवस्था करने का प्रयत्न करना।
12. गुरुकुल की स्थापना करना।
13. हिन्दू समाज के लोगो की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए चिकित्सालयों की स्थापना करना।
14. शिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
15. सनातन धर्म से समाज को जोड़ने के लिए समय– समय पर प्रसाद वितरण, भण्डारा एवं रक्तदान शिविरों का आयोजन करना।
16. समाज में फैली कुरुतियों को दूर करने हेतु अखण्ड श्रीराम चरित्र मानस पाठ, श्रीराम कथा, गीता प्रवचन इत्यादि का आयोजन करना।
17. निर्धन छात्र– छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति देना व उनकी उचित शिक्षा की व्यवस्था करना।
18. वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण को सुरक्षित करना।
19. ऐसे जरुरतमन्द व्यक्तियों को अक्षम है, विकलांग है, मानसिक या शारीरिक रुप से कमजोर है, या निर्धन वर्ग के है उनके उत्थान व जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक सहायता करना एवं उनके जीविकोपार्जन के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना।
20. मनुष्यों में करुणा, प्रेम और मैत्री का प्रसार करना।
21. गौ सेवा एवं गौवंशों का संरक्षण हेतु गौशालाओं एवं चारा की व्यवस्था करना।
22. गौवंशों अथवा जानवरों की चिकित्सा हेतु पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था करना।

23. समाज में वृद्धजनों की सेवा करना एवं वृद्धा आश्रमों का निर्माण करना।
24. सनातन धर्म/ हिन्दू समाज के महिलाओं के उत्थान हेतु कार्य करना।
25. ट्रस्ट मे उपयोग कि जाने वाली वस्तुओं का क्रय अथवा स्थानीय बाजार में उपलब्धता की विशेष परिस्थितियों मे यह नियम लागू नही होगा। कमी होने की दशा में सिर्फ हिन्दू संस्थानों से ही किया जायेगा।
26. न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इसके क्रिया कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/ प्रदेशों मे स्थापित करना या फैलाना।
27. योग को प्रथम वरीयता देना सभी प्रकार का योगाभ्यास करवाना, पढ़ाना एवं शिक्षण संस्थान खोलना तथा विभिन्न शहरों एवं ग्रामिणांचलो मे शाखा स्थापित कर शिक्षण कार्य कराना एवं डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान करना।
28. सामाजिक धर्मार्थ हेतु मन्दिर का निर्माण कराना तथा सनातन धर्म के देवी, देवताओं एवं महापुरुषो के विचारों को जन– जन तक पहुँचाना एवं प्रचार– प्रसार करना।
29. व्यावसायिक वृद्धि हेतु समूह का गठन कर आपसी सहयोग से धन एकत्र कर एक दूसरे का मदद करना।
30. शहीद सैनिक के विधवाओं एवं परिवार के बच्चों के शिक्षा अथवा ...

के लिए राष्ट्रहित मे जन समुदाय के बीच जैसे सार्वजनिक स्थल, व्यवसायिक स्थल, मंदिर, अस्पताल एवं सामाजिक स्थल पर दान लेना एवं दान पेटी रखना अथवा कैम्प लगाकर चन्दा इकट्ठा कर उनकी सहायता करना।

31. धार्मिक कथा तथा हिन्दू धर्म के वाचन एवं सतसंग को आयोजन करना।

32. ट्रस्ट द्वारा गरीबों को स्वास्थ्य सम्बन्धी कैम्प लगाकर निःशुल्क दवा का वितरण करना, सलाह देना एवं ट्रस्ट का प्रचार– प्रसार करना।

33. ट्रस्ट द्वारा हिन्दू धर्म के जरुरत मन्द लोगो को आवश्यकतानुसार धन व जरुरत का सामान ऋण के रुप मे उपलब्ध कराया जायेगा और उनसे समयानुसार ऋण को वापस प्राप्त किया जायेगा। इस पर कोई ब्याज देय नही होगा।

ट्रस्ट के अधिकार एवं कर्तव्य

1– समान उददेश्य की पूर्ति हेतु अन्य संस्थाओं, ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

2– ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाईयों को सुचारु व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।

3– ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओ एवं समितियो के सुचारु संचालन हेतु समिति बनाना एवं आवश्यकता अनुसार पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली व उप नियमों को बनाना।

4– ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रुप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चन्दा इत्यादि प्राप्त करना तथा उनकी प्रबन्ध ईकाईयों गठित करना। तथा उक्त के अनुसार जो भी धनराशि या सम्पत्ति प्राप्त होगी वह न्याय सम्पत्ति होगी।

5– ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उसकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र अथवा छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।

6– मुख्य ट्रस्टी ही ट्रस्ट की सम्पत्ति की देखभाल प्रबन्ध कारिणी के ट्रस्टी के सहयोग से करेगा तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास करेगा और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तानान्तरित करेगा व अन्य से ट्रस्ट सम्पत्ति की व्यवस्था करेगा।

7– ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों मे अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकास्मिक परिस्थितियो मे उसके संचालन के बाबत गठित समिति को भग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था मुख्य ट्रस्टी/ संस्थापक ट्रस्टी मे निहित हो जायेगी तथा मुख्य ट्रस्टी स्वंय अथवा इनके द्वारा गठित समिति इसका संचालन करेगी।

8– ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण ट्रस्टी, चिकित्सालयों शोधकेन्द्रों, धार्मिक माध्यमों, गौशालयों व अन्य समितियो के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण व व्यवहार नियमावली तैयार कर उसके हित मे अन्य कार्यो को कराना।

9– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित मे व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गौर सरकारी विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य स्त्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

10– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रबन्धकारिणी की राय से कार्यो को सम्पादित करना।

11– ट्रस्ट में सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करना तथा उक्त अधिनियम की धारा 12 ए0 तथा 80 जी0

आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना।

12– ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाला शैक्षिक/ तकनीकी/ गैर तकनीकी विद्यालयों एवं डीम्ड यूनिवर्सिटी इस्टीच्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी, परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर समस्त आवश्यक कार्य करना।

13– ट्रस्ट पर वाद– विवाद व मुकदमा होने पर न्याय क्षेत्र बस्ती होगा।

14– ट्रस्ट से जुडे सभी पद अवैतनिक होगे।

15– ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी/ मुख्य ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह स्वंय अथवा प्रबन्धकारीणी सदस्य ट्रस्टीगण के राय से समय अनुरुप उसके नियमो मे बदलाव कर सकें।

ट्रस्टीगण का सदस्यता तथा उनके वर्ग:–

इस ट्रस्ट के सदस्यों के तीन वर्ग के होगें।

1– संस्थापक सदस्य

2– प्रबन्धकारिणी समिति सदस्य

3– विशिष्ट धर्म प्रचारक सदस्य

ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य ही प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य होंगे और यही लोग विशिष्ट धर्म प्रचारक के सदस्यों को भी नामित करेगें। संस्थापक सदस्य, जिनकी संख्या न्यूनतम 07 होगी। जिसमे संस्थापक ट्रस्टी/ अध्यक्ष/ मुख्य ट्रस्टी 1, उपाध्यक्ष/ सचिव 1, कोषाध्यक्ष 1, लेखाकार 1, मीडिया प्रभारी 1, सलाहकार 2 होगा।

बैठने बुलाने के नियम:–

क– **गठन:–** किसी भी बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी सदस्य एवं विशिष्ट धर्म प्रचारक के सदस्यों को नामित करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी का होगा।

ख– **बैठक–** प्रबन्धकारिणी समिति एवं विशिष्ट धर्म प्रचारक के सामान्य बैठक वर्ष मे एक बार होगी विशेष परिस्थितियों मे आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य बैठक किसी भी समय आहूत की जा सकती है।

ग– **सूचना अवधि–** प्रबन्धकारिणी समिति एवं विशिष्ट धर्म प्रचारक की बैठक आहूत करने हेतु कम से कम 10 दिन की सूचना अवधि आवश्यक होगी विशेष परिस्थिति/ आकस्मिक परिस्थितियों में यह नियम लागू नही होगा।

मुख्य ट्रस्टी/ अध्यक्ष के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होगें।

1. अध्यक्ष ही इस ट्रस्ट का मुख्य संरक्षक व ट्रस्ट के अध्यक्ष होगें।
2. अध्यक्ष ही ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी मे से उपाध्यक्ष/ सचिव, कोषाध्यक्ष, लेखाकार, मीडिया प्रभारी सलाहकार को प्रबन्धकारिणी के सदस्य को नामित करेगें।
3. अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार होगा की वह किसी भी मामले को प्रबन्धकारीणी के मत लेकर तत्काल निर्णय लेकर निस्तारण कर देवें। ज्ञातत्व हो कि यदि अपरिहार्य परिस्थितियों मे कोई निर्णय पर प्रबन्धकारीणी के अन्य सदस्य तथा अध्यक्ष ट्रस्ट मे एक मत नही हो पाता है तो अध्यक्ष का निर्णय ही सर्वोपरि होगा।
4. अध्यक्ष ही ट्रस्ट का विशिष्ट धर्म प्रचारक एवं प्रबन्धकारिणी समिति की अध्यक्षता करेगा एवं संचालित करेगा।

5. चल अचल सम्पत्ति प्राप्त करना एवं उनका प्रबन्धन करना तथा किराये आदि पर देना आदि कार्य भी अध्यक्ष की सहमति से होगा।
6. अध्यक्ष को समस्त प्रकार की दान धनराशि या सम्पत्ति आदि को ट्रस्ट के नाम से प्राप्त करने का अधिकार होगा।

7. ट्रस्ट के प्रत्येक प्रकार के आय– व्यय, लेन– देन का अधिकार मात्र अध्यक्ष का होगा और इसके लिए अध्यक्ष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रस्ट के नाम पर किसी भी प्रकार का खाता खोलकर उसे संचालित करेगा। अथवा किसी भी प्रकार का धन सम्बन्धी विनिमेश आदि ट्रस्ट के कल्यार्थ कर सकेगा।
8. अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह समयानुरुप ट्रस्ट के नियमों मे बदलाव कर सकेगा।

सदस्यता की समाप्ति:– इस ट्रस्ट के अध्यक्ष/ मुख्यट्रस्टी की सदस्यता निम्न स्थितियों मे समाप्त हो सकेगी/ जायेगी।

1. स्वतः त्याग पत्र देने से।
2. मृत्यु हो जाने से।
3. पागल या किसी अन्य प्रकार से सक्षम हो जाने पर।
4. कोई विशेष राजनीतिक पद लेने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
5. किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हो जाने की दशा में।

(अ)– मुख्य ट्रस्टी/ अध्यक्ष के उत्तराधिकारी नियम–

1. मुख्य ट्रस्टी ही ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष होगें।
2. मुख्य ट्रस्टी द्वारा त्याग– पत्र देने अथवा उनका स्वर्गवास हो जाने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी होगा। यह उत्तराधिकारी नियम इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। यदि किसी पीढ़ी में पुत्र नही होता है तो ज्येष्ठ पुत्री

उत्तराधिकारी होगी। लेकिन यदि किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो पर उस गोद लिए हुए बच्चे को उत्तराधिकार प्राप्त होगा अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति ही मुख्य ट्रस्टी/ अध्यक्ष ट्रस्ट होगा।

उपाध्यक्ष/ सचिव–

नियुक्ति

1. अध्यक्ष ही उपाध्यक्ष को नामित करेगा अथवा प्रबन्ध कारिणी समिति के सदस्यों के द्वारा अधिकतम सहमति होने पर उपाध्यक्ष नियुक्त होगा परन्तु प्रबन्धकारिणी सदस्य एव मुख्य ट्रस्टी पर एक रुपता न होने पर मुख्य ट्रस्टी का मत ही सर्वमान्य होगा।

उपाध्यक्ष का अधिकार व कर्तव्य होगे–

1. प्रबन्ध कारिणी के समिति के द्वारा दिये गये दायित्वों का निर्वहन करना।
2. ट्रस्ट के हित मे कार्य करना।
3. अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उपाध्यक्ष ही प्रबन्ध कार्यकारिणी का कार्य सम्पादित करेगा परन्तु आय व्यय एवं सम्पत्ति के लेन– देन का अधिकार नही होगा।
4. ट्रस्ट के समस्त कार्यो को संचालित व क्रियान्वित करने का अधिकार।
5. ट्रस्ट के एजेण्डा रजिस्टर को चाहे वह विशिष्ट धर्म प्रचारक की मीटिग हेतु हो अथवा प्रबन्ध कारिणी समिति की मीटिग कब हो नियमित रुप से बनाना।
6. ट्रस्ट के विशिष्ट प्रचारक व प्रबन्ध कारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पता व व्यवसाय सम्बन्धी रजिस्टर को नियमित रुप से बनाये रखना।
7. ऐसे अन्य आवश्यक कार्यो को सम्पादित करना जिसको समय– समय पर प्रबन्धकारिणी समिति अथवा अध्यक्ष करने के लिए अधिकृत करे।

8. ट्रस्ट के कार्यो के संचालार्थ समस्त पत्र व्यवहार आदि अध्यक्ष की अनुमति से करने का अधिकार।
9. ट्रस्ट के उपाध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के कार्यो के सुचारु संचालन हेतु किसी व्यक्ति को अध्यक्ष की सहमति से अवैतनिक या वैतनिक, स्थायी या अस्थायी रुप से नियुक्त कर सकें।

सदस्या की समाप्ति:– इस ट्रस्ट के उपाध्यक्ष की सदस्यता निम्न स्थितियों में समाप्त हो सकेगी/ जायेगी।

1. स्वतः त्याग पत्र देने से।
2. मृत्यु हो जाने से
3. पागल या किसी अन्य प्रकार से अक्षम हो जाने पर
4. कोई विशेष राजनितीक पद लेने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
5. किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हो जाने की दशा में।
6. ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष को ट्रस्ट के नियमों के अनुरुप कार्य न करने या

सही आचरण न करने की दशा मे प्रबन्धकारिणी समिति के तीन सदस्यों की सहमति से किसी भी समय उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

उपाध्यक्ष के उत्तराधिकारी का नियम–

1. उपाध्यक्ष ही ट्रस्ट के आजीवन सदस्य होगें।
2. उपाध्यक्ष द्वारा त्याग– पत्र देने अथवा उनका स्वर्गवास हो जाने पर उसका पुत्र उत्तराधिकारी होगा। यह उत्तराधिकारी नियम इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। यदि किसी पीढ़ी में पुत्र नही होता है तो पुत्री उत्तराधिकारी होगी। लेकिन यदि किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो उस गोद लिए हुए

बच्चे को उत्तराधिकार प्राप्त होगा अथवा उपाध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति भी उपाध्यक्ष हो सकता है।

कोषाध्यक्ष–

नियुक्ति

1. अध्यक्ष ही कोषाध्यक्ष को नामित करेगा अथवा प्रबन्ध कारिणी समिति के सदस्यों को द्वारा अधिकतम सहमति होने पर अध्यक्ष की सहमति पर कोषाध्यक्ष की नियुक्ति होगी परन्तु यहां भी अध्यक्ष की राय ही सर्वोपरि होगा।

अधिकार व कर्तव्य

1. प्रबन्धक कार्यकारिणी के द्वारा दिये गये दायित्वो को निर्वहन करना।
2. आय, व्यय से सम्बन्धिज बिल, बाउचर का हिसाब किताब रखना।
3. ट्रस्ट मे कोई भी भुगतान अध्यक्ष एव कोषाध्यक्ष की हस्ताक्षर के बिना नही होगा
4. कोई भी नया अनुदेशक/ प्रावधान व्यय हेतु बिना अध्यक्ष/ कोषाध्यक्ष की अनुमति के नही होगा।

सदस्यता की समाप्ति– इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की सदस्यता निम्न स्थितियों मे समाप्त हो सकेगी/ जायेगी।

1. स्वतः त्याग पत्र देने से।
2. मृत्यु हो जाने से
3. पागल या किसी अन्य प्रकार से अक्षम हो जाने पर
4. कोई विशेष राजनितीक पद लेने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
5. किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हो जाने की दशा मे।

6. ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा कोषाध्यक्ष को ट्रस्ट के नियमो के अनुरुप कार्य न करने या सही आचरण न करने की दशा मे प्रबन्धकारिणी समिति के तीन सदस्यों की सहमति से किसी भी समय उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

कोषाध्यक्ष के उत्तराधिकार का नियम –

1. कोषाध्यक्ष ही ट्रस्ट के आजीवन सदस्य होगें।
2. कोषाध्यक्ष द्वारा त्याग– पत्र देने अथवा उनका स्वर्गवास हो जाने पर उसका पुत्र उत्तराधिकारी होगा। यह उत्तराधिकारी नियम इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। यदि किसी पीढ़ी में पुत्र नही होता है तो पुत्री उत्तराधिकारी होगी। लेकिन यदि किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो उस गोद लिए हुए बच्चे को उत्तराधिकार प्राप्त होगा अथवा कोषाध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति ही कोषाध्यक्ष हो सकता है।

लेखाकार

नियुक्ति

1. अध्यक्ष ही लेखाकार को नामित करेगा अथवा प्रबन्ध कारिणी समिति के सदस्यों को द्वारा अधिकतम सहमति होने पर। परन्तु लेखाकार को भी नामित करने मे अध्यक्ष का मत ही मान्य होगा।

अधिकार व कर्तव्य

1. प्रबन्धक कार्यकारिणी के द्वारा दिये गये दायित्वों को निर्वहन करना।
2. अध्यक्ष/ कोषाध्यक्ष द्वारा दिये गये, निर्देशों का पालन करना।
3. सभी वित्तीय गणनाओं का लेखा– जोखा रखना।

4. बैंकिंग सम्बन्धित सभी गति विधियों को देखना एवं उसका विवरण समय– समय पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को देना।
5. वार्षिक ऑडिट करवाना किसी भी मान्यता प्राप्त आडिटर संस्थान से जिससे वह चाहे।

सदस्यता की समाप्ति– इस ट्रस्ट के लेखाकार की सदस्यता निम्न स्थितियों में समाप्त हो सकेगी/ जायेगी।

1. स्वत: त्याग पत्र देने से।
2. मृत्यु हो जाने से
3. पागल या किसी अन्य प्रकार से अक्षम हो जाने पर
4. किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हो जाने की दशा में।
5. ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा लेखाकार को ट्रस्ट के नियमों के अनुरुप कार्य न करने या सही आचरण न करने की दशा मे स्वंय या प्रबन्धकारिणी समिति के तीन सदस्यों की सहमति से अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद किसी भी समय उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

लेखाकार के उत्तराधिकार का नियम–

1. लेखाकार ही ट्रस्ट के आजीवन सदस्य होगें।
2. लेखाकार द्वारा त्याग– पत्र देने अथवा उनका स्वर्गवास हो जाने पर उसका पुत्र उत्तराधिकारी होगा। यह उत्तराधिकारी नियम इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। यदि किसी पीढ़ी में पुत्र नही होता है तो पुत्री उत्तराधिकारी होगी। लेकिन यदि किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो पुत्री की सहमति पर उस गोद लिए हुए बच्चे को उत्तराधिकार प्राप्त होगा अथवा लेखाकार द्वारा नामित व्यक्ति ही लेखाकार नामित हो सकता है।

मीडिया प्रभारी–

नियुक्ति

1. अध्यक्ष ही मीडिया प्रभारी को नामित करेगा अथवा प्रबन्ध कारिणी समिति के सदस्यों को द्वारा अधिकतम सहमति होने पर। अध्यक्ष की अनुमति से नामित हो सकता है।

अधिकार व कर्तव्य

1. प्रबन्धक कार्यकारिणी के द्वारा दिये गये दायित्वों को निर्वहन करना।
2. सोशन मीडिया एवं डिजिटल मीडिया एवं अन्य मीडिया पर ट्रस्ट के उद्देश्य हेतु प्रचार– प्रसार करना एवं ट्रस्ट के विचार एवं उद्देश्यों को जन– जन तक पहुँचाने का कार्य मीडिया प्रभारी का होगा।
3. मीडिया प्रभारी को ध्यान मे रखना होगा की उसके द्वारा कही गयी बाते ट्रस्ट की होगी, उसकी प्रर्सेनल नही अत: कोई भी वक्तव्य बहुत सोच विचार करके ही देना होगा, उनके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष अथवा संगठन या धर्म के विरुद्ध कही गई बाते उनका अपना स्वंय का होगा इसमे ट्रस्ट का कोई मतलब नही होगा, इसके लिए वे स्वय के जिम्मेदार होगें।
4. मीडिया प्रभारी किसी भी विशेष विचार अथवा वक्तव्य को प्रसारित करने से पहले अध्यक्ष/ सलाहकार से लिखित परामर्श अवश्य ले।

सदस्या की समाप्ति– इस ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी की सदस्यता निम्न स्थितियों मे समाप्त हो सकेगी/ जायेगी।

1. स्वत: त्याग पत्र देने से।
2. मृत्यु हो जाने से

3. पागल या किसी अन्य प्रकार से अक्षम हो जाने पर
4. किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हो जाने की दशा में।
5. ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा मीडिया प्रभारी को ट्रस्ट के नियमों के अनुरुप कार्य न करने या सही आचरण न करने की दशा मे प्रबन्धकारिणी समिति के तीन सदस्यों की सहमति एवं अध्यक्ष के अनुमोदन पर ही किसी भी समय उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

मीडिया प्रभारी के उत्तराधिकार का नियम–

1. मीडिया प्रभारी ही ट्रस्ट के आजीवन सदस्य होगें।

2. मीडिया प्रभारी द्वारा त्याग– पत्र देने अथवा उनका स्वर्गवास हो जाने पर उसका पुत्र उत्तराधिकारी होगा। यह उत्तराधिकारी नियम इसी प्रकार पीढी दर पीढी चलता रहेगा। यदि किसी पीढ़ी में पुत्र नही होता है तो पुत्री उत्तराधिकारी होगी। लेकिन यदि किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो उस गोद लिए हुए बच्चे को उत्तराधिकार प्राप्त होगा अथवा मिडिया द्वारा नामित व्यक्ति ही मिडिया प्रभारी हो सकता है।

सलाहकार–

नियुक्ति

अध्यक्ष ही सलाहकार को नामित करेगा अथवा प्रबन्ध कारिणी समिति के सदस्यों के द्वारा अधिकतम सहमति होने पर अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात ही सलाहकार नामित हो सकते है।

अधिकार व कर्तव्य

1. प्रबन्धक कार्यकारिणी के द्वारा दिये गये दायित्वों को निर्वहन करना।

2. यह एक विशेष पद होता है। अतः सलाहकार का कार्य समय– समय पर ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति हेतु उचित सलाह देना, समय के अनुसार ट्रस्ट को नये– नये दिशानिर्देशों से अवगत कराना।

सदस्यता की समाप्ति– इस ट्रस्ट के सलाकार की सदस्यता निम्न स्थितियों मे समाप्त हो सकेगी/ जायेगी।

1. स्वतः त्याग पत्र देने से।
2. मृत्यु हो जाने से
3. पागल या किसी अन्य प्रकार से अक्षम हो जाने पर
4. किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हो जाने की दशा में।
5. ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा सलाहकार को ट्रस्ट के नियमों के अनुरुप कार्य न करने या सही आचरण न करने की दशा मे प्रबन्धकारिणी समिति के तीन सदस्यों की सहमति से किसी भी समय उसकी सदस्यता अध्यक्ष के अनुमोदन से समाप्त की जा सकती है।

सलाहकार के उत्तराधिकार का नियम–

1. सलाहकार ही ट्रस्ट के आजीवन सदस्य होगें।
2. सलाहकार द्वारा त्याग– पत्र देने अथवा उनका स्वर्गवास हो जाने पर उसका पुत्र उत्तराधिकारी होगा। यह उत्तराधिकारी नियम इसी प्रकार पीढी दर पीढी चलता रहेगा। यदि किसी पीढी में पुत्र नही होता है तो पुत्री उत्तराधिकारी होगी। लेकिन यदि किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो उस गोद लिए हुए बच्चे को उत्तराधिकार प्राप्त होगा अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि किसी समय सलाह के कार्यो से संतुष्ट न होकर उनके सलाहकार के पद को समाप्त करके नये सलाहकार को नियुक्त कर सकते है।

विशिष्ट धर्म प्रचारक–

नियुक्ति– अध्यक्ष/ की अनुमति से प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

अधिकार व कर्तव्य

1. प्रबन्धक कार्यकारिणी के द्वारा दिये गये दायित्वों को निर्वहन करना।
2. यह पद ट्रस्ट के कार्यो मे योगदान हेतु विशेष पद होगा। इस पर रहने वाला व्यक्ति सनातन धर्म का प्रचार, प्रसार सम्पूर्ण भारत वर्ष मे करेगें।
3. विशिष्ट धर्म प्रचारक द्वारा किसी व्यक्ति विशेष अथवा सगठन या धर्म के विरुद्ध कही गई बाते उनका अपना स्वंय का होगा इसमे ट्रस्ट का कोई मतलब नही होगा, इसके लिए वे स्वंय के जिम्मेदार होंगे।

सदस्यता की समाप्ति– इस ट्रस्ट के विशिष्ट धर्म प्रचारक की सदस्यता निम्न स्थितियों मे समाप्त हो सकेगी/ जायेगी।

1. स्वतः त्याग पत्र देने से।
2. मृत्यु हो जाने से
3. पागल या किसी अन्य प्रकार से अक्षम हो जाने पर
4. किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हो जाने की दशा में।
5. ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट धर्म प्रचारक को ट्रस्ट के नियमों के अनुरुप कार्य न करने या सही आचरण न करने की दशा मे प्रबन्धकारिणी समिति के तीन सदस्यों की सहमति से किसी भी समय उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

"इस ट्रस्ट के चल– अचल सम्पत्ति का व्यवस्थापन नही किया गया है"

संस्थापक सदस्य एवं विशिष्ट धर्म प्रचाकर सदस्य

संस्थापक सदस्य–

क्र0सं0	सदस्यों के पद	सदस्यों का नाम	पता
1	अध्यक्ष / मुख्य ट्रस्टी	श्री मत्स्येन्द्र कुमार मिश्र पुत्र कृष्णनरायन मिश्र	ग्राम छरौछा उर्फ सोखापुरवा, पोस्ट समसपुर, जिला बस्ती।
2	उपाध्यक्ष / सचिव	श्री आशीष मिश्र पुत्र श्री ओम प्रकाश मिश्र	ग्राम छरौछा उर्फ सोखापुरवा, पोस्ट समसपुर, जिला बस्ती।
3	कोषाध्यक्ष	श्री सुधिराम मिश्र पुत्र रामफेर मिश्र	ग्राम छरौछा उर्फ सोखापुरवा, पोस्ट समसपुर, जिला बस्ती।
4	लेखाकार	श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री राजेश्वर शर्मा	ग्राम पचौरा, पोस्ट समसपुर, जिला बस्ती।
5	मीडिया प्रभारी	श्री सर्वेश मिश्रा पुत्र चन्द्रशेखर मिश्र	ग्राम छरौछा उर्फ सोखापुरवा, पोस्ट समसपुर, जिला बस्ती।
6	सलाहकार	श्री अवनीश मिश्र पुत्र स्व0 सुधाकर मिश्रा	ग्राम छरौछा उर्फ सोखापुरवा, पोस्ट समसपुर, जिला बस्ती।
7	सलाहकार	श्री सुनील मिश्र पुत्र रामप्रगट मिश्र	ग्राम छरौछा उर्फ सोखापुरवा, पोस्ट समसपुर, जिला बस्ती।

विशिष्ट धर्म प्रचारक सदस्य

क्र0सं0	सदस्यों के पद	सदस्यों का नाम	पता
1	विशिष्ट धर्म प्रचारक	श्री रामकुमार पुत्र रामरतन मिश्र	ग्राम छरौछा उर्फ सोखापुरवा, पोस्ट समसपुर, जिला बस्ती।
2	विशिष्ट धर्म प्रचारक	श्री हिमांशु मिश्र पुत्र प्रदीप मिश्र	ग्राम छरौछा उर्फ सोखापुरवा, पोस्ट समसपुर, जिला बस्ती।
3	विशिष्ट धर्म प्रचारक	श्री चन्द्रप्रकाश मिश्र पुत्र श्री भवानी प्रसाद मिश्र	ग्राम छरौछा उर्फ सोखापुरवा, पोस्ट समसपुर, जिला बस्ती।
4	विशिष्ट धर्म प्रचारक	श्री दिनेश नरायण मिश्र पुत्र रामयज्ञ	ग्राम छरौछा उर्फ सोखापुरवा, पोस्ट समसपुर, जिला बस्ती।
5	विशिष्ट धर्म प्रचारक	श्री रवि मिश्र पुत्र श्री विनोद मिश्र	ग्राम छरौछा उर्फ सोखापुरवा, पोस्ट समसपुर, जिला बस्ती।
6	विशिष्ट धर्म प्रचारक	श्री शशक मिश्र पुत्र. श्री चन्द्रशेखर मिश्र	ग्राम छरौछा उर्फ सोखापुरवा, पोस्ट समसपुर, जिला बस्ती।
7	विशिष्ट धर्म प्रचारक	श्री अखिलेश मिश्र पुत्र श्री इन्द्रदेव मिश्र	ग्राम छरौछा उर्फ सोखापुरवा, पोस्ट समसपुर, जिला बस्ती।
8	विशिष्ट धर्म प्रचारक	श्री अखिलेश मिश्र पुत्र श्री केदारनाथ मिश्र	ग्राम छरौछा उर्फ सोखापुरवा, पोस्ट समसपुर, जिला बस्ती।
9	विशिष्ट धर्म प्रचारक	श्री धीरज मिश्र पुत्र श्री घनश्याम मिश्र	ग्राम छरौछा उर्फ सोखापुरवा, पोस्ट समसपुर, जिला बस्ती।
10	विशिष्ट धर्म प्रचारक	नीरज कुमार पुत्र श्री तेजबहादुर	ग्राम भूअर सराय, अमहट, बस्ती।

मुख्य ट्रस्टी का हस्ताक्षर

गवाह-1 [illegible]
[illegible]
मो० 9919335720

गवाह-2 श्याम सुन्दर पुत्र हरि प्रसाद
ग्रा० [illegible] (रजवार)
पो० सिमरापार बस्ती जिला बस्ती
9452578662

Drafted By
Amit Kumar Pandey Advocate
04/01/2022

1/4/22 3:48 PM

आवेदन सं०: 202200939000084

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 1 वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री मत्स्येन्द्र मिश्र, पुत्र श्री कृष्ण नरायन मिश्र

निवासी: छतौना उर्फ सोखापुरवा पोस्ट समसपुर तहसील व जिला बस्ती

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1 ब्रह्मा नन्द त्रिपाठी

श्री ब्रम्हा नन्द त्रिपाठी , पुत्र श्री स्व॰ धर्मेन्द्र कुमार

निवासी: कोइलपुरा पोस्ट कटया जिला बस्ती

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2 श्यामसुन्दर

श्री श्याम सुन्दर , पुत्र श्री हरि प्रसाद

निवासी: पोखरेहार उर्फ मालघाट (रजवा) पोस्ट बियराभार बस्ती जिला बस्ती

व्यवसाय: कृषि

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नवीन कुमार सिंह
उप निबंधक : सदर
बस्ती

मीरा पटेल
निबंधक लिपिक

सब रजिस्ट्रार कार्यालय बस्ती, जिला-बस्ती
उत्तर प्रदेश

आवेदन सं॰: 202200939000084

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 79 के पृष्ठ 77 से 118 तक क्रमांक 1 पर दिनाँक 04/01/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नवीन कुमार सिंह
उप निबंधक : सदर
बस्ती
04/01/2022

सब रजिस्ट्रार कार्यालय बस्ती, जिला-बस्ती
उत्तर प्रदेश